

चेकलिस्ट क्र.-02

प्रपत्र-01

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत नवीन प्रस्ताव की अभिस्वीकृति हेतु

आवेदक संस्थान उप महाप्रबंधक (परियोजना) गेल (इण्डिया) लिमिटेड तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया व रायगढ़ वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन एवं संरक्षित वन का रकबा 0.9487 हे. तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 2.6271 हे. इस प्रकार कुल रकबा 3.5758 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के कार्य हेतु वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव दिनांक 22.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था इस प्रस्ताव पर आनलाईन पंजीयन क्रमांक-FP/CG/Other/154619/2022 आबंटित किया गया है। इस प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा डी.डी. क्रमांक 9446 दिनांक 14.09.2022 द्वारा पंजीयन एवं डी.डी. क्रमांक 9447 दिनांक 14.09.2022 द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/- रुपये जमा कराया गया था जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाता क्रमांक 8443/106 में चालान क्रमांक 17 दिनांक 29/09/2022 द्वारा जमा कराया गया है।

(एम.पी. की. अ. वि. ड.)

उप महाप्रबंधक (परियोजना)

गेल (इण्डिया) लिमिटेड

तेलीबांधा रायपुर (छ.ग.)

Deputy General Manager (Construction)

गेल (=

लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.)

dia) Ltd. Raipur

वनमंडलाधिकारी

रायगढ़ वन मंडल रायगढ़

Rew H. & M.C.P. & Berear [B.L.] Subsdary Rule 19 & 23 Under Tresury Rule 10

Challan only paid into the State Bank Khairagarh Treasury

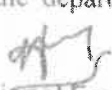
(To be presented at the Treasure Single Duplicate or Triplicate at the Case may be)

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकले जैसे कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	By whom brought किस बाबत	Amount रकम
डी.जी.एम. (निर्माण) गेल (इण्डिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय द्वितीय तल एरिना दबूटिक होटल डी.आई. पी. चौक तेलीबाधा रायपुर वन मंडल अधिकारी वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़	राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत 18' इंच व्यास की गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैर बानिकी कार्य हेतु प्रभावित हो रही 4.687 हे. वनभूमि एवं 0.516 हे. राजस्व वनभूमि कुल 5.203 हे. भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 1. डी.डी. क्र. 009446 दि. 14.09.2022 पंजयीन शुल्क राशि 6000/- रुपये द्वारा एक्सीस बैंक रायपुर 2. डी.डी. क्र. 009447 दि. 14.09.2022 प्रासेसिंग शुल्क राशि 29000/- रुपये द्वारा एक्सीस बैंक रायपुर जिसे वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाते में चालान के माध्यम से जमा कराया जा रहा है।	35000 00

TOTAL मीजान 35000.00

Words Rs.- 35000/- Thirty Five Thousand Only.

HEAD OF REVENUE	मुख्य शीर्ष- 8443 सिविल डिपार्जिट	Detail तफसील- डी.डी. क्र. 009446 एवं 47 दि. 14.9.22 द्वारा एक्सीस बैंक रायपुर राशि 35000/-
MAJOR HEAD	लघु शीर्ष- 106 व्यक्तिगत जमा	Note जोड -
DETAILED HEAD	खाता वनमंडल खैरागढ़ (छ.ग.)	Cash नगदी -
		Total मीजान 35000/-
Certified that the amount shown above has been entered in the department Register to the head of Revenue indicated above. Date : _____ Department Officer  Divisional Forest Officer Forest Division, District Office, Deptt. Khairagarh Division Khairagarh		
FOR USE IN TREASURY खजाने में इस्तेमाल के लिए		
Examined	Received	Entered No.
	Rs. (in figures)	
	Rs. (in words)	
Signature of The Accountant	Signature of Treasurers	Signature of Accountant

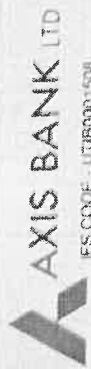
Date :

Treasury Officer

Seal

E:\Tamil\Vendor & Challan.doc





FS CODE - UTIB0001508

ISSUING BRANCH

DEVENDRA NAGAR, RAIPUR (CT)

1508

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

DATE
DD MM YY

On Demand Pay

DIVISIONAL FOREST OFFICER KHAIIRAGARH FOREST DIVISION

or order / या उनके आदेश पर

नौग जान पर

Rupees

Six Thousand only

रुपये

₹ 6,000.00

OT DD Sr. No. 9446 OL TL CC

Purchaser: VIKRAM SINGH JANGIR

1508012100105 Payable at Par (B2K)

DRAWEE BANK AND BRANCH
अर्थात् बैंक और शाखा

CODE NO

Sr. Manori Sen
Sr. Manager & Operation Head

AUTHORISED SIGNATORY
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Please sign above

⑈009446⑈ 492211006⑈

15



AXIS BANK LTD. ISSUING BRANCH

IFS CODE - UTIB0001508 A/C PAYEE ONLY

DEVENDRA NAGAR, RAIPUR (CT)

1508

VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

DATE
DD MM YY

On Demand Pay

DIVISIONAL FOREST OFFICER KHAIIRAGARH FOREST DIVISION

or order / या उनके आदेश पर

नौग जान पर

Rupees

Twenty Nine Thousand only

रुपये

₹ 29,000.00

OT DD Sr. No. 9447 TT TL CC

Purchaser: VIKRAM SINGH JANGIR

1508012100105 Payable at Par (B2K)

DRAWEE BANK AND BRANCH
अर्थात् बैंक और शाखा

CODE NO

Sr. Manori Sen
Sr. Manager & Operation Head

AUTHORISED SIGNATORY
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Please sign above

⑈009447⑈ 492211006⑈

15



30

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

एफएम. 0771 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

अ. मु. पञ्चा/विधि/एल.एम-115-934/2/41

रायपुर, दिनांक 19/09/2022

परि.

वनमंडलाधिकारी

खैरागढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जॉजगीर-चोंपा एवं रायगढ़ वनमंडल
छत्तीसगढ़

विषय: - खैरागढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जॉजगीर-चोंपा एवं रायगढ़ वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु GAIL INDIA LIMITED द्वारा Laying of Natural Gas Pipeline from Nagpur to Jharsuguda Under Mumbai- Nagpur-Jharsuguda Pipeline Project (MNJPL Project) हेतु क्षेत्रफल 12.1255 हे. पंजीयन बाबत।
संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 14.09.2022 एवं अभिस्वीकृति प्राप्त दिनांक 22/09/2022 तथा स्टेट सिरियल नं. CS-034/2022

-00-

विषयान्तर्गत GAIL INDIA LIMITED द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Laying of Natural Gas Pipeline from Nagpur to Jharsuguda Under Mumbai- Nagpur-Jharsuguda Pipeline Project (MNJPL Project) हेतु खैरागढ़ - 5.2033 हे., बलौदाबाजार 0.2594 हे., बिलासपुर - 0.0191 हे., कोरबा - 2.0873 हे., जॉजगीर-चोंपा - 0.9806 एवं रायगढ़ - 3.5758 कुल क्षेत्र 12.1255 हे. उक्त वन मंडलों अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 29,000 = 35,000/- के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है। खैरागढ़ वनमंडलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग उक्त प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Others/154619/2022 आबंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें। प्रकरण के पंजीयन पश्चात् हार्ड कापी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजते समय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
3. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित

अ.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

30A

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-934/ २/१२

रायपुर, दिनांक 19/09/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग छ.ग.।
- मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ.ग.।
- मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर छ.ग.।
- वन संरक्षक (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग.।
- Dy. General Manager (Construction), GAIL (India) Limited, Registered office: GAIL Bhawan, 16 Bhikaiji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, India - 110066 - आनलाईन फार्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, डिमांड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें।

वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़